अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

173/2023/अजमेर — प्र.मु. ४/३ सुगनी बनाम —

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख पेशी	17 3/2023 श्री मोहम्मद (कलक्टर)	श्री अजीतसिंह 17/1 91/1173 एडवोकेट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
23/5/23	माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा निग/रिवी. 5243/2019 इजराय सुगनी बनाम सरकार आदेश दिनांक 9.10.2019 में पारित आदेशानुसार प्रा.पत्र वापसी को दर्ज रजिस्टर किया जावे। राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार वापसी प्रा. पत्र पर सुनवाई मय वापसी प्रा० पत्र बाबत आदेश रिकॉर्ड की जाती है। [हस्ताक्षर] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर		

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

173/2023/अपील प्रभु V/S सुगनी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
17/3/2023	अपील (पेशी) 17/1 से 17/3, 21	
पेशी	श्री मोहम्मद इकबाल श्री N. K. जैन — रेस्पोडेन्ट	

प्रभु बनाम सुगनी वगैरह (173/2023)

5/6/23

बाजदायरी प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 29.08.2023 को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दिनांक 02.04.2019 को मान्नीय न्यायालय के द्वारा अपीलांट के अभिभाषक की अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त कर दी गयी थी। उपरोक्त उनवानी अपील में पिछली कई पेशियों से तलबी में नियत चली आ रही थी तथा प्रार्थी/अधिवक्ता ने भी प्रार्थी को आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण प्रार्थी वकील साहब के आश्वासन दिये जाने के कारण मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था और अभिभाषक भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, क्यों कि वे अन्य न्यायालय के समक्ष बहस में व्यस्त थे, इसलिए बरवक्त दिलाये जाने आवाजे अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपीलांट एवं अभिभाषक समय पर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दी। मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट को अपने अभिभाषक द्वारा यह हिदायत दी गई कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है इसलिए दिनांक 24.12.2021 को प्रार्थीया/अपीलांट अभिभाषक की हिदायत अनुसार मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रार्थीया/अपीलांट अभिभाषक अन्य प्रकरण में व्यस्त होने से न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो सकें। उक्त सद्भाविक त्रुटिवश ही अधिवक्ता अपीलार्थी उवत अपील में उपस्थिति नहीं दे सका। अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की मंशा मान्नीय न्यायालय से अनुपस्थित रहने की नहीं थी व उनकी अनुपस्थिति सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अपील को यदि पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई नहीं की गई तो अपीलार्थी अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा जो कि न्याय की कदापि मंशा नहीं है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2019 को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 7, 17/1 से 17/3, 21 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र बाजदायरी में कथन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की वजह से अपील अदम हारजी एवं अदम पैरवी में निरस्त की गई जब कि मूल अपील में लम्बे समय से अन्य रेस्पोडेन्ट की तलबी भी चल रही थी एवं मूल अपील में कई रेस्पोडेन्ट का स्वर्गवास भी हो चुका था जैसा कि मूल अपील के आदेशिकोंओं से प्रमाणित है कि उनके वारिसान के संदर्भ में भी अपीलार्थीगण के द्वारा कोई आवेदन पत्र भी लम्बी अवधि के पश्चात प्रस्तुत किये है। उपरोक्त बाजदायरी आवेदन पत्र जो मृतक रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो कि विधि अनुसार मृतको के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अपील में प्रार्थी स्वयं एवं उनके अभिभाषक बरवक्त आजावे दिलाये जाने पर उपस्थित नहीं हुए इसलिए अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह नहीं बताया गया कि बरवक्त आवाजें दिलाये जाने पर कौन सी न्यायालय में व्यस्त थे जिसके कारण मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

173/2022/अपील प्रभु वि. भगवानी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/173 श्री ... श्री N.K. ...	
	अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक हो सके प्रकरणों का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नही किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए अतः न्यायहित में प्राथी का प्रार्थना पत्र. को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। **अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र बाबत् को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	